

19
रसीद नं. 252-सीद

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 132 के अंतर्गत सम्पत्ति स्वनिर्धारण प्रक्रिया के तहत कार्य रजिस्टर (अ) नं. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 की उपधारा 3 के खण्ड (अ) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उपधारा 3 के खण्ड (अ) के अनुसार शिक्षा उपकर निर्धारण तथा संग्रहण का नियम के अंतर्गत डिमांड नोट जारी की गई है।
पर दर्ज है।



नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) रसीद बुक क. 1461
रसीद नं. 36

वाड
मकान नं.
मालिक मकान

W/S4 जानकी नगर

श्री तेज कुमार साहू

86 श्री सुखीनगर साहू

मान्य कार्यविज

रसीद बाबत संपत्ति कर, जल शुल्क, शिक्षा उपकर,

समेकित कर, सामान्य जलकर, अन्यकर

वार्षिक भाड़ा मूल्य

सन्

7200/-

संपत्ति कर 321.00

फूट -

योग -

समेकित कर 600.00

जल शुल्क

सामान्य जलकर 300.00

अतिरिक्त जलकर 1 % 72.00

शिक्षा उपकर

बकाया एवं अन्यकर

अधीन 280.00

योग 1576.00

अक्षरी रूप में

तारीख

हस्ताक्षर करदाता

जब तक वसूल कर्ता का हस्ताक्षर न हो सिर्फ सामान्य सील हो ऐसा न समझा जाये कि रसीद की रकम घट गई है।

जल ही जीवन है इसे व्यर्थ न बहायें

राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर

2021 x 2022
31 मार्च 2022 तक

8021849888